ग्राम पंचायत सखोली, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सखोली, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती अमरा देवी	01.02.2021 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सुखदर्शन सिंह	01.03.2022 से 27.06.2022
2	श्री रण सिंह	28.06.2022 से 16.03.2024
3	श्री धनवीर सिंह	17.03.2024 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत सखोली, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैं :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.3	रोकड़बही व बैंक अंतशेष में भारी अंतर	3.58
2)	6.3	अनुदान उपयोग हेतु शेष	58.61
3)	7.1	गृह कर की वसूली न करना	0.31
4)	9.1 व 9.2	निर्माण कार्यों संबंधी अभिलेख प्रस्तुत न करना	6.18
5)	10	निर्माण कार्यों में अनियमित/अधिक भुगतान	0.42

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-1** पर दर्शाई गई है। अतः ग्राम पंचायत लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु विशेष कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करे तदानुसार अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत सखोली, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर के अवधि 04/22 से 03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री कविन्द्र कंवर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 05.12.24 से 18.12.24 तक ग्राम पंचायत सखोली, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर में किया गया। ग्राम पंचायत सखोली, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान नौ (9) रोकड़ बहियों अर्थात स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित), 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग, आर0ए0वाई/ए0ए0वाई0, आई0ए0वाई0, 13वां वित्तायोग, एस0बी0एम0, बी0आर0जी0एफ0 व मनरेगा का रख-रखाव किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	12/22	06/23
2023-24	03/22	03/24

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत सखोली, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर के अवधि 04/22 से 03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 6 दिनांक 18/12/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त राशि निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को अंकेक्षण शुल्क जमा करने का आश्वासन दिया।

4 **वित्तीय स्थिति:-**

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या KK/SO/2024-Vol.I-64 दिनांक 04.11.24 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट-2** पर दिया गया है |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3+4)**	**6**	**7 (5-6)**
क्र. सं.	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**प्राप्तियां (₹)**	**कुल योग (₹)**	**भुगतान (₹)**	**अंतिम शेष (₹)**
1	2022-23	8543441.73	10966746.16	19510187.89	11552328.86	7957859.03
2	2023-24	7957859.03	6434661.13	14392520.16	8531659.50	5860860.66

4.2 ₹ 1.12 लाख के प्रारम्भिक शेष और अंत शेष राशि के बीच अंतर बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 के दौरान प्रस्तुत **परिशिष्ट-2** के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को रोकड़ बही का अंतिम शेष ₹8431804,73 दर्शाया गया था जिसे उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 में शामिल किया गया है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान प्रस्तुत परिशिष्ट के अनुसार दिनांक 01.04.2022 को रोकड़ बही में प्रांरभिक शेष ₹8543441.73 दर्शाया गया है। जिसे वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा-4 में दर्शाया गया। इस प्रकार पंचायत द्वारा अंकेक्षण को गलत सूचना प्रस्तुत करने के कारण दिनांक 31.03.2022 के अन्तर व दिनांक 01.04.2022 के प्रारम्भिक शेष में ₹111637.00 (₹8543441.73 - ₹8431804.73) का निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अन्तर का मुख्य कारण दिनांक 31.03.2022 को निम्न तालिका के क्रम संख्या: 6 से 8 में दर्शाई गई विभिन्न योजनाओं का अंतिम शेष नहीं दर्शाया गया था जबकि दिनांक 01.04.2022 को इनका प्रारम्भिक शेष दर्शाया गया था। अतः इस अन्तर के सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में आंकड़ों व अभिलेख की उचित जांच पड़ताल उपरान्त ही अंकेक्षण को सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए:-

क्र.स.	**योजना का नाम**	**दिनांक 1.4.2022 को रोकड़ बही अनुसार प्रारम्भिक शेष (परिशिष्ट-2)**	**दिनांक 31.3.2022 को रोकड़ बही अनुसार अंतशेष (परिशिष्ट-2 क)**	**अंतर की राशि (₹)**
1.	सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत	4029324.86	4029324.86	0.00
2.	14वां वित्त आयोग	2243600.87	2243600.87	0.00
3.	15वां वित्त आयोग	1388187.00	1388187.00	0.00
4.	आई0ए0वाई0	321648.00	321648.00	0.00
5.	एस0बी0एम0	449044.00	449044.00	0.00
6.	आर0ए0वाई0/ए0ए0वाई0	77624.00	-	77624.00

7.	बी0आर0जी0एफ0	15166.00	-	15166.00
8.	13वां वित्त आयोग	18847.00	-	18847.00
	कुल	**8543441.73**	**8431804.73**	**111637.00**

4.3 बैंक समाधान विवरणी: -

दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही अनुसार अन्त शेष (पैरा 4.1)	₹ 5860860.66
दिनांक 31.03.24 को बैंक अनुसार अन्त शेष **परिशिष्ट – 3**	₹ 5552992.43
दिनांक 31.03.24 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अंतर (₹5860860.66 - ₹5552992.43) **परिशिष्ट – 3**	₹ 307868.23

दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹307868.23 का अन्तर था जिसकी बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – 3"क"** पर दिया गया है:-:-

	विवरण		**राशि (₹)**
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों अनुसार अंतशेष		5860860.66
जमा:	बैंक ब्याज जो 15वां वित्त आयोग की रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया:-		49969.00
	दिनांक 30.06.2023	16254.00	
	दिनांक 31.12.2023	16865.00	
	दिनांक 31.03.2024	16850.00	
घटाव:	दिनांक 31/03/2024 को स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित), 14वां वित्तायोग, आर0ए0वाई/ए0ए0वाई0, आई0ए0वाई0, 13वां वित्तायोग, एस0बी0एम0, बी0आर0जी0एफ0 का असमायोजित राशि (Unreconclied amount).		(-)357837.23
	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष		5552992.43

4.4 ₹0.50 लाख रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर का लेखांकन न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-3 'क'** के अनुसार बैंक द्वारा 15वें वित्तायोग के खाते में ₹49960.00 की ब्याज राशियों का क्रेडिट दिया गया था जिनका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। परन्तु इन ब्याज राशियों का रोकड़ बही की प्राप्ति में लेखांकन नहीं किया था। अतः ब्याज राशियों का रोकड़ बही में उचित लेखांकन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

विवरण	राशि (₹)
बैंक ब्याज जो 15वां वित्त आयोग की रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया:-	
दिनांक 30.06.2023	16254.00
दिनांक 31.12.2023	16865.00
दिनांक 31.03.2024	16850.00
कुल	**49969.00**

4.5 ₹ 3.58 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना: -

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत द्वारा पैरा 4.2 में वर्णित रोकड़ बही व बैंक शेषों में कुल अंतर 357837.23 (बैंक में कम जमा) की निम्न विवरणानुसार बैंक समाधान विवरणीयां प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अनियमित व आपतिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता :-

क्र. स.	निधि/योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	**2**	**3**
1	सामान्य निधि/ स्व:स्त्रोत	220832.40
2	14वा वित्त आयोग/13वा वित्त आयोग	25367.83
3	आर0ए0वाई0/ ए0ए0वाई0	77624
4	13वां वित्तायोग	18847
5	बी0आर0जी0एफ0	15166
	योग	**357837.23**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 09/12/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव, ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा अंकेक्षण को तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया। अत: उक्त भारी राशि के अंतर की राशि की बैंक समाधान विवरणीयां शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को

अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये । इसके अतिरिक्त यह गंभीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है ।

4.6 स्वः स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र बैंक खाते का संचालन करने न करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतन्त्र बैंक खाता 'क' (स्वः-स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि स्वः स्त्रोत/सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है। अतः खाता "क" के लिये स्वतन्त्र रूप से बैंक खाते का संचालन न किये जाने के कारण पंचायत की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में पृथक से दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस बारे सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 09/12/2024 द्वारा इस अनियमितता बारे अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए इस अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराने का तथा योजनावार पृथक बैंक खाता व रोकड़ बही तैयार करने का आश्वासन दिया। अतः कृत कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

5. सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 09/12/2024 के क्रम संख्या 5 के सन्दर्भ में अंकेक्षण को सचिव, द्वारा पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 के क्रम स. 5 द्वारा पर प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अत: सचिव, ग्राम पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 प्राप्त सहायता अनुदान ₹127.77 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार, पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार

(परिशिष्ट-2) अवधि 4/2022 से 3/2024 तक ₹**12777274.16** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी। परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया:-

योजना	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल राशि (₹)
सामान्य निधि/ स्व:स्त्रोत	8018063.16	3306895.00	11324958.16
15वा वित्त आयोग	970427.00	481889.00	1452316
कुल	**8988490.16**	**3788784**	**12777274.16**

परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु अनुदानों के उपयोग की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1 दिनांक 09/12/2024 द्वारा प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण को प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा भविष्य में प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया। अतः शीघ्र कृत कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदान से ₹159.66 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी **(परिशिष्ट-2)** के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 4/2022 से 3/2024 तक निम्न विवरण अनुसार ₹**15965988.36** की अनुदान राशि (स्वः स्रोत सहित) का व्यय किया गया था। परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

योजना	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदानों से किया गया व्यय (₹)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदानों से किया गया व्यय (₹)	कुल राशि (₹)
सामान्य निधि/ स्वःस्त्रोत	7812430.86	4465085.40	12277516.26
14वा वित्त आयोग	1230796.00	1125151.10	2355947.1
15वा वित्त आयोग	0.00	544423.00	544423
आई0ए0वाई0	326460.00	0.00	326460
एस0बी0एम0	461642.00	0.00	461642
कुल	**9831328.86**	**6134659.5**	**15965988.36**

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 09/12/2024 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि आपत्तिजनक है। अतः व्यय की गई उक्त राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर सत्यापन हेतु शीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाये ताकि किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए।

6.3 अनुदान खाते में ₹58.61 लाख राशि शेषः-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट- 2** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों (स्वः स्रोत सहित) में से दिनांक 31.03.2024 को **₹5860860.66** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग ऐजेन्सी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 1 दिनांक 09/12/2024 जारी करके उक्त राशि को व्यय न करने बारे अंकेक्षण को अवगत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

अत: सुझाव दिया जाता है कि प्राप्त शेष अनुदानों की राशि को भविष्य में नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व/स्वः स्रोत-

7.1 ₹0.31 लाख का गृह कर वसूली हेतु शेष: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** के अवलोकन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/22 से 3/24 तक गृहकर राजस्व राशि ₹**31380/-** वसूली हेतु शेष थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना सं0 2 दिनांक 10/12/2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पत्र सं0 1 दिनांक 18/12/2024 द्वारा सूचित किया गया कि गृहकर की राशि को भविष्य में वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	कुल (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	**15340**	**7900**	**23240**	-	**23240**
2023-24	**23240**	**8140**	**31380**	-	**31380**

7.1 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख को राजकीय कोष में जमा न करवाना:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या –WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा अधिसूचित विवाह पंजीकरण नियम-2004 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय को राजकीय कोष में वर्तमान में नवीनतम शीर्षक 0070-060-108-01 के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अवधि 4/2022 से 03/2024 तक के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹1400 का विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया गया परन्तु उसे राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था जोकि अनियमित है।

क्र. स.	वर्ष	योजना	वाउचर स0 / दिनांक	राशि (₹)	हि0 प्र0 सरकार को जमा किया गया शुल्क (₹)
1	2023-24	Own Sources	OWN/202324/R/7 Dt. 17/06/2023	1200	Nil

2	2023-24	Own Sources	OWN/202324/R/8 Dt. 27/06/2023	200	Nil
			Total	1400	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 2 दिनांक 10/12/2024 जारी करके अनियमितता बारे पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र सं0 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा भविष्य में राशि को जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आश्वस्त किया । अतःउक्त राशि को शीघ्र राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

8. ₹0.93 लाख की क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अन्तर्गत स्टॉक/स्टोर के क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित है। उक्त नियम के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री की मात्रा, गुणवता की जाँच करने के उपरान्त अनिवार्य रूप से फार्म 25 से 28 के अनुरूप स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है तथा यह भी प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है कि स्टॉक/सामग्री को सही अवस्था में प्राप्त किया गया है। नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹92790 के स्टॉक/स्टोर की सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था।

क्र. स.	वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	वाउचर स. /दिनांक	बिल स./ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामाग्री	मात्रा (स.)	दर (₹)	भुगतान राशि (₹)
1	2022-23	FFC	FFC/2022-23/P/25 Dt. 24-3-2023	7055/ 23-3-23	Sunshine Computer	Dell Inspiron Desktop	1	76262.71 +GST 18%	92790
						Lapcare 600 VA UPS	1	2372.88 +GST 18%	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 3, दिनांक 16/12/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने बारे दृष्टिकोण से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा

भविष्य में आवश्यक कार्रवाई उपरांत अंकेक्षण को पूर्ण अभिलेख सही अवगत करवाने का आश्वासन दिया गया। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री का सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. निर्माण कार्य: -

9.1 ₹2.06 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा। परन्तु व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा नियम 94, 95 व 101 के अन्तर्गत अपेक्षित अभिलेख जैसे निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट-5** पर वर्णित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु किये गये ₹205999 के भुगतान को अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 3, दिनांक 28/11/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को निर्माण कार्यों के निष्पादन के भुगतान से सम्बन्धित प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अविलम्ब अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: 1/2024 दिनांक 30/11/24 द्वारा अंकेक्षण को संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया। इस प्रकार उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 आपूर्तिकर्ताओं से ₹4.12 लाख की सामग्री के ट्रांजिट पास प्रस्तुत करने बारे :

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार, ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा | परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.-(आर.डी. एवं पी.आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा ट्रांजिट पास फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास को प्राप्त किया गया था परन्तु बिल में दर्शाई गई सामाग्री की मात्रा की सत्यापना ट्रांजिट पास में दर्ज मात्रा के साथ संभव नहीं हो सकी क्योंकि सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा अभिलेख का ठीक प्रकार से रख रखाव नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता से **परिशिष्ट-6** अनुसार ₹412139 की खरीदी गई सामाग्री वैधानिकता की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो सकी। इस संबंध में जारी अंकेक्षण अधियाचना स0: 3 दिनांक 16/12/2024 द्वारा पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा अंकेक्षण को संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया। अत: सचिव, ग्राम पंचायत बिलवार आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई सामाग्री तथा उनके ट्रांजिट पास में दर्ज सामाग्री की मात्रा से संबंधित अभिलेख का उचित प्रकार से संधारण किया जाये तदोपरांत कृत कार्रवाही से पूर्ण अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई सामाग्री की वैधानिकता सत्यापना संभव हो सकें।

9.3 मनरेगा के अन्तर्गत 60:40 के अनुपात में व्यय न करके ₹8.09 लाख का मजदूरी पर अधिक व सामग्री पर कम व्यय बारे: -

मनरेगा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जारी परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 7.4.1 के अनुसार ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय का 60 प्रतिशत मजदूरी पर तथा 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना वांछित है। परन्तु ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 में मनरेगा से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख **परिशिष्ट-7** का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन न करके वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मजदूरी पर ₹16.54 लाख अधिक तथा सामग्री पर कम व्यय किया गया जोकि अनियमित है:-

क्रम स.	वित्तीय वर्ष	मनरेगा पर कुल व्यय (₹ लाखो में)	मजदूरी पर वास्तविक व्यय (₹ लाखो में)	मजदूरी पर अपेक्षित व्यय *60% (₹ लाखो में)*	मजदूरी पर कम/ ज्यादा व्यय (₹ लाखो में)	सामाग्री पर वास्तविक व्यय (₹ लाखो में)	सामाग्री पर अपेक्षित व्यय 40% (₹ लाखो में)	सामाग्री पर कम/ ज्यादा व्यय (₹ लाखो में)
1	2	3	4	5 (3 x 60%)	6 (4-5)	7	8 (3 x 40%)	9 (7-8)
1	2022-23	17.21	16.38	10.33	+6.05	0.83	6.88	-6.05
2	2023-24	23.97	16.42	14.38	+2.04	7.55	9.59	-2.04
	कुल	**41.18**	**32.8**	**24.71**	**+8.09**	**8.38**	**16.47**	**-8.09**

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 3, दिनांक 16/12/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमतता बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाने का आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा भविष्य में इस अनियमितता को नहीं दोहराने का आश्वासन दिया गया। अत: इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में उक्त जारी परिचालन दिशा-निर्देश का गंभीरता से पालन किया जाये।

10. निर्माण कार्य: -

10.1 निर्माण कार्य C/o Foot bridge at Tor Khad का गलत मूल्यांकन करके ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान :-

क) निर्माण कार्यों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है कि स्व: स्त्रोत निधि (Own Sources) के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका स. 19/3-4 में Item No.7 "Tor steel i/o cutting binding & placing in position" की मात्रा में 500 कि0 ग्रा0 (110 x 4.54) के स्थान 540 कि0 ग्रा0 का मूल्यांकन/गणना लेकर 40 कि0 ग्रा0 की मात्रा के लिए ₹2356 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में है :-

विवरण (₹)		लेबर रेट (₹)	थ्रू रेट (₹)
माप पुस्तिका अनुसार रेट	**1**	4.95	59.40
अधिक भुगतान राशि	**2**	198	2376
घटाव: 15% (CP&OC)	**3 (2x15%)**	30	356
कुल	**4 (2-3)**	**168**	**2020**
जमा: लेबर एनहांसमेंट @ 200 %	**5 (4x200%)**	336	336
कुल अधिक भुगतान	***6 (336+2030)***		**2356**

ख) अंकेक्षण दौरान यह भी पाया गया कि स्टील (Steel) की अतिरिक्त लागत (Extra cost of material) गणना करते समय भी 540 कि0 ग्रा0 की मात्रा के आधार पर भुगतान किया गया था। इस प्रकार 40 कि0 ग्रा0 स्टील का ₹30/ कि0 ग्रा0 (45-75) के हिसाब से ₹1200 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

ग) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन में Item No.4 "RR Stone masonry with CM 1:6" की 5m^3 मात्रा उपयोग किया गया था जिसके के लिए पत्थर की प्रमाप मात्रा निकालने 1.16 के कन्वर्शन फैक्टर के हिसाब से मात्रा 5.8 m^3 की पत्थर की खरीद की जानी अपेक्षित थी जबकि अभिलेख की पड़ताल करने पाया गया है कि पंचायत द्वारा कुल

9.36 m³ पत्थर की खरीद की गई थी। इस प्रकार पंचायत द्वारा 3.56 m³ की ₹1800 (1714.29+GST 5%)/ m³ के हिसाब से ₹6408 की अधिक पत्थर की खरीद की गई है जो कि अनियमित है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना स0 4 दिनांक 16/12/2024 जारी करके उक्त निर्माण कार्य का गलत मूल्यांकन करके ₹9964 (₹2356+1200+6408) अधिक भुगतान बारे पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा आवश्यक कार्रवाई अम्ल में लाने का आश्वासन दिया गया। अत: उक्त निर्माण कार्य हेतु किये गए ₹9964 के अधिक भुगतान को या तो सही ठहराया जाया अन्यथा वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

10.2 निर्माण कार्य C/o Community irrigation Tank in the L/O Hira Singh S/o Kahan Singh का गलत मूल्यांकन करके ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान :

निर्माण कार्यों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोतों (Own Sources) के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका स0 19/11-12 में 15% CP&OC तथा 157.14 % की लेबर बढ़ौतरी (enhancement) की गणना में गलती कर ₹859 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

विवरण (₹)		माप पुस्तिका के अनुसार गणना राशि (₹)	सही गणना राशि (₹)
माप पुस्तिका कुल राशि	1	17101	17101
घटाव: 15% (CP&OC)	2 (1x15%)	2231	2565
कुल	3 (1-2)	**14870**	**14536**
अधिक भुगतान	4 (14870-14536)	**334**	
जमा: लेबर एनहांसमेंट @157.14 %	5 (4x157.14%)	525	
कुलअधिक भुगतान	*6 (334+525)*	**859**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना स0 4 दिनांक 16/12/2024 जारी करके उक्त निर्माण कार्य का गलत मूल्यांकन करके ₹859 के अधिक भुगतान बारे पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा आवश्यक कार्रवाई अम्ल में लाने का आश्वासन दिया गया। अत: उक्त निर्माण कार्य हेतु किये गए

₹859 के अधिक भुगतान को या तो सही ठहराया जाये अन्यथा वसूली की राशि उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

10.3 निर्माण कार्य C/o Community Bhawan Majholi का गलत मूल्यांकन करके ₹0.24 लाख का अधिक भुगतान :-

क) निर्माण कार्यों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है स्व: स्त्रोत निधि (Own Sources) के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका स0 19/25-28 में मद स0 3 "P/L RCC 1:1.5:3 & curing complete excluding cost of centring and shuttering in foundation & wall" की मात्रा की गलत गणना/मूल्यांकन करके निम्नतालिका अनुसार ₹4081 का अधिक भुगतान किया :-

माप पुस्तिका के अनुसार गणना (m^3)	**सही गणना (m^3)**	**अधिक मात्रा m^3**	**दर/m^3**	**अधिक भुगतान (₹)**
17.30 (9.22+1.32+1.2+ 1.4+0.4+0.4)	13.94 (9.22+1.32+1.2+ 1.4+0.4+0.4)	3.36	1143.18	3841
घटाव: 15% CP&OC (15% x 3841)				576
कुल				**3265**
जमा: लेबर एनहांसमेंट @ 25%				816
कुल अधिक भुगतान				**4081**

ख) उक्त कार्य की सामग्री की अतिरिक्त लागत (Extra cost of material) की गणना के अवलोकन में पाया गया कि मद स0 3 "P/L RCC 1:1.5:3 & curing complete excluding cost of centring and shuttering in foundation & wall" में भी मात्रा को 13.94के ³m स्थान 17.30³m को गणना हेतु लिया गया था, इस प्रकार 3.36m^3 (17.30-13.94) की मात्रा हेतु सामग्री की अतिरिक्त लागत (Extra cost of material) ₹20023 का निम्न तालिका अनुसार अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनियमित एवं आपतिजनक है।-:

मद का नाम (m3)	**निष्पादित अधिक मात्रा (m3)**	**सामाग्री**	**अधिक सामाग्री मात्रा (m3)**	**माप पुस्तिका अनुसार दर/(m3)/ बैग**	**अधिक भुगतान राशि (₹)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (4x5)**
CC 1:1.5:3	3.36	Cement	27	405	10935
		Sand	1.428	2835	4048
		Aggregate	1.92	2625	5040
कुल					**20023**

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना स0 4 दिनांक 16/12/2024 जारी करके उक्त निर्माण कार्य का गलत मूल्यांकन करके ₹24104 के (4081+20023) अधिक भुगतान बारे पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा आवश्यक कार्रवाई अम्ल में लाने का आश्वासन दिया गया। अत: उक्त निर्माण कार्य हेतु किये गए ₹24104 के अधिक भुगतान को या तो सही ठहराया जाया अन्यथा वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

10.4 निर्माण कार्य C/o L/R Village Lawago का गलत मूल्यांकन करके ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान :-

निर्माण कार्यों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है स्व: स्त्रोत निधि (Own Sources) के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका स0 190/66-68 में मद स.1 "Excavation in soil in hilly area by mechanical means including cutting & trimming" की मात्रा की गलत गणना/मूल्यांकन करके निम्नतालिका अनुसार ₹5128 का अधिक भुगतान किया जो कि अनियमित है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना स0 4 दिनांक 16/12/2024 जारी करके उक्त निर्माण कार्य का गलत मूल्यांकन करके ₹5128 के अधिक भुगतान बारे पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा आवश्यक कार्रवाई अम्ल में लाने का आश्वासन दिया गया। अत: उक्त निर्माण कार्य हेतु किये गए ₹5128 के अधिक भुगतान को या तो सही ठहराया जाया अन्यथा वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

रनिंग डिस्टेंस	माप पुस्तिका अनुसार गणना (m^3)	सही गणना (m^3)	अधिक मात्रा (m^3)
RD 30/45	58.90 (1/2x15x3.05x2.40)	54.90 (1/2x15x3.05x2.40)	4.00
RD 60/75	86.06 (1/2x15x3.05x3.50)	80.06 (1/2x15x3.05x3.50)	6.00
RD 665/680	59.90 (1/2x15x3.05x2.40)	54.90 (1/2x15x3.05x2.40)	5.00
RD 695/710	63.00 (1/2x15x3.05x2.40)	54.90 (1/2x15x3.05x2.40)	8.10
RD 710/725	63.00 (1/2x15x3.05x2.40)	54.90 (1/2x15x3.05x2.40)	8.10
		कुल मात्रा (m^3)	**31.2**
		माप पुस्तिका अनुसार थ्रू दर/m^3	**164.35**
		अधिक भुगतान (₹)	**5128**

10.5 निर्माण कार्य C/o Foot Bridge GPS Dor Parwa Khala का गलत मूल्यांकन करके ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान :-

निर्माण कार्यों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया है स्व: स्त्रोत निधि (Own Sources) के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य के अभिलेख के पड़ताल पर पाया गया कि रेत की खपत मात्रा से अधिक मात्रा की खरीद करके अनियमित रूप से ₹2470 का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है जो कि अनियमित है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना स0 4 दिनांक 16/12/2024 जारी करके उक्त निर्माण कार्य का गलत मूल्यांकन करके ₹2418 के अधिक भुगतान बारे पूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने का आश्वासन दिया गया। अत: उक्त निर्माण कार्य हेतु किये गए ₹2418 के अधिक भुगतान को या तो सही ठहराया जाया अन्यथा वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

माप पुस्तिका स0 19/37-40 अनुसार मूल्यांकित रेत की मात्रा (m3)	वास्तव में रेत की खरीदी गई मात्रा (m3)	अधिक खरीद (m3)	दर/(m3)	अधिक भुगतान (₹)
14.48	15.41	0.93	2600 (2476.19 +GST 5%)	2418

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

11.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Assests Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम.एम.पी) को प्रारम्भ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत पंचायत द्वारा की गई सामग्री की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इन्द्राज किया जाना अनिवार्य है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित चल-अचल सम्पतियों को दर्ज करने संबंधी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था जबकि अंकेक्षण अवधि तक ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री की खरीद व बहुत से कार्यों को पूर्ण किया गया था। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या KK/SO/2024-Vol.I-64 दिनांक 04/11/24 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में उन्होनें अंकेक्षण को उचित कार्यवाही करने उपरान्त अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

अतः राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत की चल-अचल सम्पति का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत करने बारे :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:-

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
	खाता बहियां	7	29 (1 से 3)
2	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) (ए व बी)
9	तकनीकी जॉंच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	6	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34
5	कर रजिस्टर	16	34

सचिव, ग्राम पंचायत से अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 5, दिनांक 17/12/2024 जारी करके उपरोक्त आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा भविष्य में अभिलेख प्रस्तुत करने बारे आश्वासन दिया। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव करके अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 5, दिनांक 17/12/2024 के क्रम संख्या 3 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या: 1 दिनांक 18/12/24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है तथा भविष्य में सत्यापन करवाकर अवगत करवा दिया जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. लघु आपत्ति विवरणिका: - इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14. निष्कर्ष: - लेखों में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

1560 - 1564 का0/प्र0 15 MAR 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 75/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सखोली, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्र0

परिशिष्ट-"1", पैरा (ग) में संदर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्र0 स0	पैरा स0	नवीनतम स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत	हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग की रसीद स. 0710547 दिनांक 18-01-2023 के दृष्टिगत निर्णीत।
2	4.1 से 4.5 तक	निर्णीत	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
3	4.6	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई के उपरांत।
4	4.7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
5	4.8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
6	5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
7	6.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
8	6.2	अनिर्णीत	
9	7.1	अनिर्णीत	
10	7.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
11	7.3	अनिर्णीत	
12	7.4	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई के उपरांत।
13	8.1	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई के उपरांत।
14	8.2	अनिर्णीत	
15	8.3	अनिर्णीत	
16	8.4	निर्णीत	₹164 की रसीद स. 640/50 दिनांक 07.12.2024 द्वारा वसूली उपरांत।
17	9.1	अनिर्णीत	
18	9.2	अनिर्णीत	
19	9.3	अनिर्णीत	
20	9.4	अनिर्णीत	
21	9.5	अनिर्णीत	
22	10.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
23	10.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

24	10.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
25	10.4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
26	11 व 12	निर्णीत	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

अनिर्णीत पैरा का सार	
31/3/2022 तक अनिर्णीत पैरों की सं0	9
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरों की सं0	10
31/3/2024 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	19

परिशिष्ट - 2
पैरा सं० 4.1

FINANCIAL POSITION OF GP SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCK TILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.) FOR 20222-23 & 2023-24					
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
2022-23	8543441.73	10966746.16	19510187.89	11552328.86	7957859.03
2023-24	7957859.03	6434661.13	14392520.16	8531659.50	5860860.66
Total	8543441.73	17401407.29	25944849.02	20083988.36	5860860.66

GRAM PANCHAYAT SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCK TILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)								
OWN SOURCES								
Year	Opening (₹)	Own Sources Income (₹)	Receipts-Own Sources	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2+6)	8	9 (7-8)
2022-23	4029324.86	11170	8018063.16	132002.00	8161235.16	12190560.02	7812430.86	4378129.16
2023-24	4378129.16	3900	3306895.00	111639.00	3422434.00	7800563.16	4465085.40	3335477.76

GRAM PANCHAYAT SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCK TILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)							
FFC							
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2022-23	2243600.87	0	55146.00	55146.00	2298746.87	1230796.00	1067950.87
2023-24	1067950.87	0	90364.13	90364.13	1158315.00	1125151.10	33163.90

GRAM PANCHAYAT SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCK TILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)							
XVFC							
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2022-23	1388187.00	970427.00	41528.00	1011955.00	2400142.00	0.00	2400142.00
2023-24	2400142.00	481889.00	42974.00	524863.00	2925005.00	544423.00	2380582.00

GRAM PANCHAYAT SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCK TILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)							
RAY/AAY							
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2022-23	77624.00	0.00	0.00	0.00	77624.00	0.00	77624.00
2023-24	77624.00	0.00	0.00	0.00	77624.00	0.00	77624.00

GRAM PANCHAYAT SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCK TILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)							
IAY							
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2022-23	321648.00	0.00	4812.00	4812.00	326460.00	326460.00	0.00
2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GRAM PANCHAYAT SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCK TILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)							
THFC							
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2022-23	18847.00	0.00	0.00	0.00	18847.00	0.00	18847.00
2023-24	18847.00	0.00	0.00	0.00	18847.00	0.00	18847.00

GRAM PANCHAYAT SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCK TILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)							
SBM							
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2022-23	449044.00	5881.00	6717.00	12598.00	461642.00	461642.00	0.00
2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GRAM PANCHAYAT SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCK TILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)							
BRGF							
Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Bank Interest (₹)	Total Receipts(₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4	5 (3+4)	6(2+5)	7	8(6-7)
2022-23	15166.00	0.00	0.00	0.00	15166.00	0.00	15166.00
2023-24	15166.00	0.00	0.00	0.00	15166.00	0.00	15166.00

GRAM PANCHAYAT SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCK TILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)					
MNREGA					
Financial Year	Opening (₹)	Receipt (₹)	Total (₹)	Payment (₹)	Closing (₹)
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
2022-23	0.00	1721000.00	1721000.00	1721000.00	0.00
2023-24	0.00	2397000.00	2397000.00	2397000.00	0.00

सचिव
ग्राम पंचायत सखौली
विकास खण्ड तिलोरधार
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 2 (क)

~~परिशिष्ट 2~~ पैरा- 4.4/5

ग्राम पंचायत सखौली,वि0खं0 तिलोरधार,जिला सिरमौर

	योजना	बैंक	खाता सं0	रोकड बही अनुसार दिनांक 1/4/2021 को आरंभिक शेष	बैंक अनुसार दिनांक 1/4/2021 को आरंभिक शेष	अन्तर	रोकड बही अनुसार दिनांक 31/3/2022 को अन्त शेष	बैंक अनुसार दिनांक 31/3/2022 को अन्त शेष	अन्तर
1	सामान्य निधि / स्व स्त्रोत	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, पांवटा साहिब	56210100010	हस्तगत रोकड-- 0+ बैंक-- 3152829.76	हस्तगत रोकड--0 + बैंक-- 3167069.76		हस्तगत रोकड-- 0+ बैंक-- 4029324.86	हस्तगत रोकड-- 0 + बैंक - 4094815.16	
	कुल			**3152829.76**	**3167069.76**	-14240	**4029324.86**	**4094815.16**	-65490.3
2	14वां वित्त आयोग	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सतौन	56710107712	3032887	1537773			1634207	
		यूको बैंक सतौन	08630110053232		1495114			633479.87	
	कुल			**3032887**	**3032887**	0	**2243600.87**	**2267686.87**	-24086
3	15वां वित्त आयोग	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सतौन	56710111999	0	0	0	**1388187**	1406947	-18760
4	एस0बी0एम--जी	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, सतौन	56710109038	428867	428867	0	**449044**	455761	-6717
5	आई0ऐ0वाई	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, पांवटा साहिब	56210100141	307196	307196	0	321648	326460	-4812
	कुल			**6921779.76**	**6936019.76**	**-14240**	**8431804.73**	**8551670.03**	**-119865.3**

सचिव
ग्राम पंचायत सखौली
विकास खण्ड तिलोरधार
[illegible]

24

-21-

ग्राम पंचायत सखोली, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर (हि. प्र.) परिशिष्ट-3, पैरा सं०- 4.2

क्र. स.	योजना	बैंक	खाता स.	दिनांक 31.3.2024 को रोकड़बही अनुसार अंतशेष	दिनांक 31.3.2024 को बैंक अनुसार अंतशेष	दिनांक 31.3.2024 को रोकड़बही व बैंक अंतशेष में अंतर
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
1	सामान्य निधि/ स्व:स्त्रोत	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक	56710112838	3335477.76	3114645.36	220832.40
2	14वा वित्त आयोग	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक	56710107712	33163.90	7796.07	25367.83
3	15वा वित्त आयोग	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक	56710111999	2380582.00	2430551.00	-49969.00
4	आर0ए0वाई0/ ए0ए0वाई0	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक	56710104562 56710103634	77624.00	0.00 0.00	77624.00
5	आई0ए0वाई0	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक	56710100141	0.00	0.00	0.00
6	13वा वित्त आयोग	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक	56710106541	18847.00	0.00	18847.00
7	एस0बी0एम0	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक	56710109038	0.00	0.00	0.00
8	बी0आर0जी0एफ0	हि.प्र. राज्य सहकारी बैंक	56710103720	15166.00	0.00	15166.00
			कुल योग	**5860860.66**	**5552992.43**	**307868.23**

सचिव
ग्राम पंचायत सखोली
विकास खण्ड तिलोरधार
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

25

-22- परिशिष्ट - 3 'क', पैरा सं० 4.2

ग्राम पंचायत सखोली, विकास खण्ड तिलोरधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)	
बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.03.2024	
योजना: 15वां वित्त आयोग	**राशि (₹)**
दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही अनुसार अंतशेष	2380582.00
जमा: बैंक ब्याज जो 15वां वित्त आयोग की रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया:-	
दिनांक 30.06.2023	16254.00
दिनांक 31.12.2023	16865.00
दिनांक 31.03.2024	16850.00
दिनांक 31.03.2024 को बैंक अनुसार अंतशेष	**2430551.00**

सचिव
ग्राम पंचायत सखोली
विकास खण्ड तिलोरधार
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

परिशिष्ट- 4, पैरा स० 7.1

ग्राम पंचायत सखोली विकास खण्ड तिलोरधार जिला सिरमौर।

दिनांक 31.3.2024 को गृहकर वसूली संबंधी सूचना-

- वर्ष 2022-23 के दौरान परिवारों की संख्या – 395
- वर्ष 2022-23 के दौरान गृहकार की दर – ₹ 20 /परिवार

- वर्ष 2023-24 के दौरान परिवारों की संख्या – 407
- वर्ष 2023-24 के दौरान गृहकार की दर – ₹ 20/परिवार

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2022-23	15340	7900	23940	-	23940
2023-24	23940	8140	32080	-	32080

सचिव
ग्राम पंचायत सखोली
विकास खण्ड तिलोरधार
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

-74-

विवरण- प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन/तकनीकी मंजूरी/ वित्तीय मंजूरी व माप पुस्तिका प्रस्तुत करने बारे। परिशिष्ट- 5, पैरा 5.0 9.1

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	वाउचर स. /दिनांक	बिल स./दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामाग्री	मात्रा (कि.ग्रा./ क्युबिक मी./स.)	दर (₹)	भुगतान राशि(₹)
1	2023-24	OWN SOURCES	C/o Community Bhawan Ruhana	OWN/2022-23/P/117 Dt. 11-3-2024	706/3-11-23	Thakur General Store	Aggregate	16	2380.95+GST 5%	39999
2	2023-24	FFC	R/o Upbardhan Panchayat Ghar	FFC/2023-24/P/15 Dt. 31-3-2024	HK1633/2023-24 /31-3-2024	Hare Krishna Tiles	24 x24 Preclain (Box)	160		
	2023-24	FFC	R/o Upbardhan Panchayat Ghar	FFC/2023-24/P/15 Dt. 31-3-2024	HK1633/2023-24 /31-3-2024	Hare Krishna Tiles	Ceramic Tile 12x18	200		
	2023-24	FFC	R/o Upbardhan Panchayat Ghar	FFC/2023-24/P/15 Dt. 31-3-2024	HK1633/2023-24 /31-3-2024	Hare Krishna Tiles	Tile Adhesive 20KG (Bgs)	140		166000
	कुल									205999

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

28

विवरण- ट्रांजिट पास (फार्म डब्लयू) या सप्लीमेन्ट्री पास (फार्म-एक्स) प्रस्तुत करने बारे।									परिशिष्ट - 6, पैरा सं० 1.2	
क्र.स.	वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	वाउचर स. /दिनांक	बिल स./दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (कि.ग्रा./ क्युबिक मी./स.)	दर (₹)	भुगतान राशि(₹)
1	2022-23	OWN SOURCES	C/o Footbridge Tor Khudd	OWN/2022-23/P/48Dt. 07/03/2023	924/10/02/2023	Thakur General Store	Stone	9.36	1724.29+GST5%	16848
	2022-23	OWN SOURCES	C/o Footbridge Tor Khudd	OWN/2022-23/P/4Dt. 07/03/2023	920/10/02/2023	Thakur General Store	Sand	16.26	2476.19+GST5%	42275
	2022-23	OWN SOURCES	C/o Footbridge Tor Khudd	OWN/2022-23/P/5Dt. 07/03/2023	922/10/02/2023	Thakur General Store	Aggregate	10.65	2380.95+GST5%	26624
2	2022-23	OWN SOURCES	C/o Cummunity Bhawan Majholi	OWN/2022-23/P/5Dt. 07/03/2023	929/11/2/2023	Thakur General Store	Aggregate	15.69	2380.95GST5%	39224
	2022-23	OWN SOURCES	C/o Cummunity Bhawan Majholi	OWN/2022-23/P/5Dt. 07/03/2023	928/11/2/2023	Thakur General Store	Sand	8.28	2476.19+GST5%	21527
3	2022-23	OWN SOURCES	C/o Cummunity Irrigation Tank in the Land of Heera Singh S/o Kahan Singh	OWN/2022-23/P/52Dt. 07/03/2023	926 / 11/2/2023	Thakur General Store	Aggregate	3.42	2380.95+GST5%	8549
	2022-23	OWN SOURCES	C/o Cummunity Irrigation Tank in the Land of Heera Singh S/o Kahan Singh	OWN/2022-23/P/52Dt.07/03/2023	927 / 11/2/2023	Thakur General Store	Stone	18	1714.29+GST5%	32400
4	2022-23	OWN SOURCES	C/oIrigation Tank In land of Dalip Singh S/o Rattan Singh Gwajun	OWN/2022-23/P/53Dt.07/03/2023	931/11/02/2023	Thakur General Store	Stone	18	1714.29+GST5%	32400
5	2022-23	OWN SOURCES	C/o Cummunity Tank Bhunana	OWN/2022-23/P/58Dt.07/03/2023	1059 / 11/03/2023	Thakur General Store	Sand	6.3	2095.24+GST 5%	13860
	2022-23	OWN SOURCES	C/o Cummunity Tank Bhunana	OWN/2022-23/P/5Dt. 07/03/2023	1059 / 11/03/2023	Thakur General Store	Aggregate	12.44	2095.24+GST 5%	41250
6	2023-24	OWN SOURCES	C/o Foot Bridge Mohrad Khad	OWN/2023-24/P/112 Dt. 11-3-2024	1116/28-01-2024	Thakur General Store	Sand	14.84	2476.19+GST 5%	
	2023-24	OWN SOURCES	C/o Foot Bridge Mohrad Khad	OWN/2023-24/P/112 Dt. 11-3-2024	1116/28-01-2024	Thakur General Store	Aggregate	4	2380.95+GST 5%	48583
7	2023-24	OWN SOURCES	C/o Foot Bridge GPS Dor Parwa Khala	OWN/2022-23/P/114 Dt. 11-3-2024	1235/16-2-2024	Thakur General Store	Stone	27	1714.28+GST 5%	48600
	2023-24	OWN SOURCES	C/o Foot Bridge GPS Dor Parwa Khala	OWN/2022-23/P/115 Dt. 11-3-2024	1236/16-2-2024	Thakur General Store	Stone	10.142	1714.28+GST 5%	
8	2023-24	OWN SOURCES	C/o Community Bhawan Ruhana	OWN/2022-23/P/117 Dt. 11-3-2024	706/3-11-23	Thakur General Store	Aggregate	16	2380.95+GST 5%	39999
	कुल									412139

29

Section Officer
State Audit Department,
Shimla-9, H.P.

GRAM PANCHAYAT SAKHOLI,DEVELOPMENT BLOCKTILORDHAR, DISTRICT SIRMOUR (H.P.)						
SCHEME: MNREGA						
Fin. Year/	**2022-23**			**2023-24**		
Month	**Labour (₹)**	**Material (₹)**	**Total (₹)**	**Labour (₹)**	**Material (₹)**	**Total (₹)**
April	3000	0	**3000**	123000	0	**123000**
May	0	0	**0**	62000	0	**62000**
June	262000	0	**262000**	95000	702000	**797000**
July	201000	0	**201000**	0	0	**0**
August	124000	83000	**207000**	0	53000	**53000**
September	0	0	**0**	207000	0	**207000**
October	267000	0	**267000**	191000	0	**191000**
November	0	0	**0**	208000	0	**208000**
December	365000	0	**365000**	97000	0	**97000**
January	416000	0	**416000**	277000	0	**277000**
February	0	0	**0**	382000	0	**382000**
March	0	0	**0**	0	0	**0**
Total	**1638000**	**83000**	**1721000**	**1642000**	**755000**	**2397000**

सचिव
ग्राम पंचायत सखोली
विकास खण्ड तिलोरधार
जिला सिरमौर (हि०प्र०)